




XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर.64-दो/96

जिला-मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-7-15	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर, अभि. उप. । उन्होंने निवेदन किया कि वे इस प्रकरण को अब आगे चलाना नहीं चाहते ।</p> <p>प्रकरण आगे न चलाने के आधार पर आदेशार्थ ।</p>	 सदस्य
3-8-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । विचारोपरान्त आवेदक अभि. का निवेदन स्वीकार करते हुये यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 सदस्य



न्यायालय राजस्थान गण्डल, मध्य प्रदेश, खालिपर C.R.B. 7.50

प्र० क्र०

186 पुनरीक्षण R. 64-196

महावीरसिंह पुत्र गणतानसिंह ठाकुर
निवासी ग्राम कुथियाना तहसील अम्दाह
जिला पुरेना आवेदक
विरुद्ध

- १- महिला गुलाबदेवी पत्नी गोपालसिंह
- २- लालसिंह पुत्र गोपालसिंह ठाकुर
निवासी ग्राम कुथियाना तहसील अम्दाह
जिला पुरेना
- ३- महिला नारंगी पुत्री गोपालसिंह पत्नी
नारायणसिंह ठाकुर निवासी ग्राम नरगां
तहसील अम्दाह जिला अजमेर (30/9/0)
- ४- महिला अमूरी पुत्री गोपालसिंह
पत्नी रामजीलाल ठाकुर निवासी ग्राम
गुलावली तहसील वाडी जिला सोलपुर
(राजस्थान) आवेदकगण

क्रमांक 205 -V
सी एस के लालदेवी 26.10.96
अभिज्ञ द्वारा का निवासी
की पत्नी
26.10.96
बालक और दोड़
राजस्थान मध्य प्रदेश

28-90-28

अपर आयुक्त गण्डल संभाग द्वारा प्रेषण क्रमांक
६२।६२-६४ पुनरीक्षण में पारित आदेश क्रमांक
२६-७-६६ के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५०
मध्य प्रदेश मू राजस्थान संहिता २६५६

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

- (१) यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं मनमाना होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।